न्यायालय जिला कलक्टर सीकर
पीठासीन अधिकारी, नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 38/2015/अपील अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम

सोहन लाल पुत्र स्व. लादूराम, जाति जाट, निवासी, ग्राम डूंगरवास, तहसील लक्ष्मणगढ़, सीकर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

1. सुगनी देवी पत्नी लादूराम
2. बाबूलाल पुत्र रिछपाल

समस्त जाति जाट, निवासीगण ग्राम डूंगरवास, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर (राज.)

रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितः—
1. श्री प्रभाती लाल अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री छोटूराम गठाला अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस् की ओर से।

अपील अं. माता—पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 के तहत विरूद्व उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़, सीकर आदेश दिनांक 04.08.2014

निर्णय

सुनवाई दिनांकः 20 फरवरी, 2018 निर्णय दिनांकः 27 फरवरी, 2018

1. अपीलान्ट ने अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया है किः—

(1) रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने पौत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के प्रभाव में आकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्रार्थना पत्र इस आशय का दिनांक 14.07.2014 को प्रस्तुत किया कि— '' प्रार्थीया व अप्रार्थीगण स्व. लादूराम के विधिक वारिस हैं, स्व. लादूराम के दो लड़के सोहन लाल व रिछपाल जो अप्रार्थी संख्या 2 का पिता है एवं एक लड़की मोहनी देवी है। प्रार्थीया काफी वृद्व एवं विधवा औरत है जिसका भरण पोषण का कोई जरिया नहीं है तथा न ही अप्रार्थीगण प्रार्थीया का भरण पोषण कर रहें हैं। प्रार्थिया के पति की खातेदारी व विरासत का खेत खसरा संख्या 17 रकबा 18.02 है. व खसरा संख्या 73 रकबा 0.57 है. तन ग्राम डूंगरवास में से 1/2 हिस्सा पैतृक रूप से प्रार्थीया के पति लादूराम की खातेदारी में रहा है, जिसमें से प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा विधिक रूप से है जिसको भी अप्रार्थीगण ने नाजायज रूप से प्रार्थीया के वृद्वावस्था का फायदा उठाकर हड़प कर लिया अब प्रार्थीया दर दर की ठोकर खा रही है, इसलिए उक्त आराजीयात में से

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

जिला कलक्टर, सीकर

प्रार्थीया को इनके विधिक हिस्से 1/4 की खातेदारी प्रार्थीया के नाम दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जाना आवश्यक है, जिससे प्रार्थीयाके साथ न्याय हो सके। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण बहुत ही यातना देते हैं, हैरान करते हैं, भरण पोषण नहीं देते हैं। ऐसी स्थिति प्रार्थीया को मजबूरन न्यायालय की शरण में आना पड़ा है तथा प्रार्थाना पत्र प्रस्तुत कर न्याय की गुहार चाही गई है।"

(2) उक्त आवेदन को दर्ज रजिस्टर करके अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये व दिनांक 30.07.2014 तारीख पेशी नियत की। उक्त नोटिस अपीलांट को प्राप्त नहीं हुआ तथा तामील कुनिन्दा ने रेस्पोडेन्टस् से साज करके अपीलांट के मकान पर नोटिस चस्पा करने की रिपोर्ट करके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नोटिस प्रस्तुत किये जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रस्तुत किया, जिससे भी स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने ही नोटिस की अवैध कार्यवाही करवाई। ना ही अधीनस्थ न्यायालय का चस्पानगी का कोई आदेश था और ना ही चस्पानगी का आदेश हुए बिना तामील चस्पानगी से करवाई जा सकती है, ना ही अपीलांट के घर तामील कुनिन्दा कभी गया और ना ही नोटिस चस्पा किया गया।

(3) अधिनियम 2007 की धारा 5 के तहत भरण पोषण के सम्बन्ध में ही आवेदन प्रस्तुत किया जाने का कानूनी प्रावधान है, जिसकी उपधारा 3 में सुनवाई का अवसर देने का आज्ञापक कानूनी प्रावधान है तथा उपधारा 4 में आवेदन का निस्तारण 90 दिवस होने का भी कानूनी प्रावधान है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत बिन सुनवाई का अवसर दिये मात्र 21 दिन में क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया।

(4) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय "न्याय निर्णय" की परिभाषा में नहीं आता है, ना ही अधिनियम 2007 के तहत इस प्रकार का चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त था क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की खातेदारी की भूमि में से 1/4 हिस्सा (दर हिस्सा 1/2) की भूमि से नाम हजफ कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि हक त्याग विलेख के माध्यम से अपीलांट को प्राप्त होने का कथन निर्णय में अंकित करते भरण पोषण के लिए पुनः रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आरबीट्रेरी निर्णय पारित कर दिया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांट के पक्ष में हक त्याग विलेख निष्पादित व पंजीकृत नहीं करवाया था बल्कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता रिछपाल के पक्ष में दिनांक 26.03.2004 को अपने हिस्से की भूमि सम्पूर्ण का हक परित्याग कर निष्पादित व पंजीकृत करवाकर कब्जा वास्तविक एवं व्यावहारिक सम्भला दिया था तत्पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पिता रिछपाल ने अपने कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि में से 1/12 हिस्से का हक परित्याग कर दिनांक 11.07.2006 को निष्पादित एवं पंजीकृत करवाया था, जबकि

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर, सीकर

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की मानकर अपीलांट के खाते में से कम करने का चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित कर दिया जिसका अधिनियम 2007 में कोई प्रावधान नहीं है।

(5) अपीलांट के कब्जे काश्त खातेदारी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि नहीं होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता द्वारा अपने हिस्से में दी गई भूमि थी तथा अधिनियम 2007 दिनांक 01.08.2008 को प्रभाव में आया है उसमें पूर्व अन्तरित सम्पदा को ''प्रश्नगत'' करने का अधिनियम 2007 में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है।

(6) अधिनियम 2007 की धारा 23 में कुछ परिस्थितियों में सम्पति का अन्तरण शुन्य होने का प्रावधान किया गया है, जिसके तहत अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात भरण पोषण की शर्त किया गया अन्तरण उक्त शर्त पूर्ण नहीं करने पर शुन्य घोषित किये जाने का प्रावधान किया गया जो कि पूर्व के अन्तरणों पर लागू नहीं है। ना ही अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का भरण पोषण करने से इन्कार किया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या की भरण पोषण करने की जितनी जिम्मेदारी अपीलांट की है उतनी ही जिम्मेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की भी है, लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम भूमि दर्ज करने का अवैध निर्णय प्राप्त किया है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है और ना ही अपीलांट को उसकी सम्पदा से वंचित किया जा सकता है, ना ही पंजीकृत प्रलेखों को अधिनियम 2007 के तहत चुनौती दी जा सकती है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित कर दिया।

(7) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलांट को पूर्व में जानकारी नहीं थी, ना ही इस प्रकार का निर्णय होने के बारे में अपीलांट ने कभी सोचा तथा इस चुनौतीग्रस्त निर्णय से पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने ही अपीलांट की बहन से एक दावा संख्या 85/2013 उनवानी मोहनी बनाम सोहनलाल आदि प्रस्तुत करवाया था जिसका निर्णय 03.07.2014 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया जिसमें अपीलांट को 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज करने व मोहनी देवी को 1/4 का (दर हिस्सा 1/2) खातेदार दर्ज करने का निर्णय पारित किया था जिसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के लिए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने विश्वास दिलाया था।

(8) हल्का पटवारी एवं तहसीलदार द्वारा उक्त कृषि भूमियों के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 361 दिनांक 29.09.2014 दर्ज व स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलांट का हिस्सा 1/4 , (दर हिस्सा 1/2) दर्ज किया गया जिसकी जानकारी होते ही अपीलांट ने हल्का पटवारी से सम्पर्क किया व अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.07.2014 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 361 को संशोधित करने के लिए कहा लेकिन पटवारी हल्का ने कोई कार्यवाही नहीं की। तब दिनांक 01.06.

जिला कलक्टर, सीकर

2015 को तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिन्होंने भी कोई कार्यवाही नहीं की।

(9) दिनांक 08.07.2015 को रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने धमकी देकर कहा कि "तुम तहसीलदार के पास कितनी ही बार जाओ राजस्व रिकॉर्ड इसी प्रकार रहेगा व दादी के नाम दर्ज करवाई गई भूमि पर कब्जा भी कर लूंगा क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 361 दावा संख्या 85/2013 के निर्णय दिनांक 03.07.2014 का नहीं होकर प्रकरण संख्या 21/2014 के निर्णय दिनांक 04.08.2014 का है इसलिए मर्जी आये सो करो कुछ नहीं होगा।" इस पर अपीलांट ने दिनांक 09.07.2015 को नकल का आवेदन प्रस्तुत कर नकल प्रात की। तत्पश्चात अपीलांट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से जमीन नाम करवाने के केस करने सम्बन्ध में पूछताछ की तो उसने अनभिज्ञता जताई और कहा कि –"बाबुलाल ही बता सकता है।" तत्पश्चात परिवार के अन्य व्यक्तियों को अपीलांट ने बताया जिन्होंने दिनांक 19.07.2015 को एकत्रित होकर उक्त निर्णय को निरस्त करवाने के लिए कहने का आश्वासन दिया जिस पर दिनांक 19.07.2015 को रिश्तेदार एवं मौतबिरान इकट्ठा हुए जिनके समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के बहकावे में आकर खाता वापस अपीलांट के नाम दर्ज करवाने से इन्कार कर दिया।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार किया जाकर चुनौतीग्रस्त निर्णय को निरस्त करने का श्रम करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिए नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस् की ओर से अधिवक्ता छोटूराम गठाला उपस्थित आये।

3. बहस वकील अपीलांट सुनी गई।

4. वकील अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत निर्णय पारित कर क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर सम्पति के सम्बन्ध में निर्णय पारित कर दिया। जबकि उक्त अधिनियम 2007 की धारा 5 के तहत भरण पोषण के सम्बन्ध में आवेदन प्रस्तुत किया जाने का कानूनी प्रावधान है जिसकी उपधारा 3 में सुनवाई का अवसर देने का आज्ञापक कानूनी प्रावधान है तथा उपधारा 4 में आवेदन का निस्तारण करने का अवधि 90 दिवस होने का भी कानूनी प्रावधान है, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत अर्थात बिना सुनवाई का अवसर दिये मात्र 21 दिन मे ही निर्णय पारित कर दिया जिसे अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है।

जिला कलक्टर, सीकर

5. वकील रेस्पोडेन्टस् ने अभिकथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का देहान्त दिनांक 04.1. 2016 को हो गया है। जिसके कारण अपील धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

6. हमने योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का बगौर अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में एक आवेदन अन्तर्गत धारा 4 धारा 16, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 पेश किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के भरण पोषण हेतु आदेश जारी किया गया था लेकिन अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का देहान्त हो चुका है। जिस कारण भरण पोषण के प्रकरण को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

7. निर्णय आज दिनांकः **27 फरवरी, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला कलक्टर, सीकर

जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official